रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, शनिवार, मई 22, 1976/ज्येष्ठ 1, 1898
No. 242] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22, 1976/JYAISTHA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd May 1976

S.O. 363(E).—Whereas the industrial undertaking known as M/s. Britannia Engineering Company, Calcutta (Titagarh Unit) in the State of West Bengal is engaged in the Scheduled Industries, namely, Railway Rolling Stock and Tea Machinery;

And whereas the Company owning the said industrial undertaking, namely, the Britannia Engineering Company Limited is being wound up by the Calcutta High Court, and the business of the company is not being continued;

And whereas the Central Government after obtaining the permission from the High Court, under sub-section (2) of section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter in this Order referred to as the said Act), had caused an investigation to be made by a body of persons into the possibility of running or re-starting the said industrial undertaking;

And whereas the Central Government is of opinion that there are possibilities of running or re-starting the said industrial undertaking made an application under sub-section (1) of section 18FA of the said Act to the Calcutta High Court, praying for permission to appoint any person or body of persons to take over the management of the said industrial undertaking and the said High Court has by its order dated the 30th January 1976, as modified by its order dated 9th April, 1976, granted the said permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FA of the said Act, the Central Government hereby authorises M/s. Westinghouse Sexby Farmer Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the authorised body) to take over the management of the Titagarh Unit of M/s. Britannia Engineering Company Limited, excluding the Steel Foundry Division of the said Company and part of the vacant land as per modified order dated the 9th April, 1976 of Calcutta High Court, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The authorised body shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The authorised body shall hold office for five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette;

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the authorised body earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years from the date of its publication in the official Gazette.

[No. 4/13/76-CUC]

P. B. KRISHNASWAMY, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 मई, 1976

का० आ० 363 (अ).—पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित मेसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता (टीटागढ़ एकक) नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् रेलवे रोलिंग स्टाक और चाय मशीनरी के काम में लगी हुई है ;

और उक्त औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी अर्थात् ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता का उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा है और कम्पनी का कारबार जारी नहीं रखा जा रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 15क की उप-धारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम को चलाने या पुनः चालू करने की सम्भावना की बाबत व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा अन्वेषण कराया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को चलाने या पुनः चालू करने की संभावनाएं हैं; उस ने उक्त अधिनियम की धारा 18चक की उपधारा (1) के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक आवेदन किया था जिस में उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के निमित्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को नियुक्त करने की अनुज्ञा देने की प्रार्थना की गई थी और उक्त उच्च न्यायालय ने 9 अप्रल, 1976 के अपने आदेश द्वारा यथा उपान्तरित 30 जनवरी, 1976 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दे दी है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18चक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स बेस्टिंग हाउस सैक्स्बी फार्मर लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस में इस के पश्चात् प्राधिकृत निकाय कहा गया है) को मेसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के टीटागढ़ एकक; जिस में उक्त कम्पनी का इस्पात ढलाई खण्ड और कलकत्ता उच्च-न्यायालय के तारीख 9 अप्रैल, 1976 के उत्तरवर्ती आदेश के अनुसार रिक्त भूमि का हिस्सा सम्मिलित नहीं है ; का प्रबन्ध निम्नलिखित निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(i) प्राधिकृत निकाय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा ;

(ii) प्राधिकृत निकाय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों के लिए पद धारण करेगा ।

(iii) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, प्राधिकृत निकाय की नियुक्ति को इससे पहले भी समाप्त कर सकेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० 4/13/76-सी० यू० सी०]

पी० वी० कृष्णास्वामी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976